कार्यालय निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर
Email: dirndbr-forest-uk@nic.in. Off. Ph.&fax-01372-252497
उत्तराखण्ड वन्यजीव हेल्पलाईन न0 18008909715 (टोल फ्री)

पत्रांक 1537 / 12–1 , गोपेश्वर दिनांक 02 जनवरी, 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय :– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी से काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संन्दर्भ :– आपका पत्रांक 171 / FP/UK/ROAD/10131/2015, दिनांक 25–07–2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण पर प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 3411 / 12–1, दिनांक 29–12–2023 द्वारा बिन्दुवार वांछित आख्या प्रेषित की गई है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर उक्त प्रकरण पर बिन्दुवार वांछित आख्या संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं :–

S.No.	Query	Reply
1	2	3
1	समरेखण पूर्णतः बदल दिया गया है, जिस बस्ती को डिजिटल मानचित्र में बिन्दु क्रमांक 14 एवं 65 पर जोड़ने का प्रस्ताव था, वह मार्ग से नहीं जुड़ें हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कथन के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0, पोखरी (चमोली) द्वारा उल्लेखित किया गया है कि – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी से काण्डई मोटर मार्ग, 10.875 किमी0 का निर्माण किया गया, जिसमें वनभूमि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। मार्ग के किमी0 01 से 03 तक ग्रामवासियों के विवाद के कारण मार्ग के समरेखण में आंशिक परिवर्तन हुआ है, जिसमें मार्ग निर्माण हेतु उक्त भाग में किसी प्रकार की वनभूमि की क्षति एवं वनभूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है। मार्ग के उक्त भाग का निर्माण केवल नापभूमि में किया गया है, जिसके सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2884 / 12–1, दिनांक 22.11.2023 के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पी०एम०जी०एस०वाई० पोखरी द्वारा पुनः विषयांकित मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 03 में इसकी सूचना अंकित है। **(आख्या संलग्न)** बिन्दु 14 में स्थित ग्राम गुगली को निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी के द्वारा पोखरी–विशालखाल–आली मोटर मार्ग से संयोजित किया गया है तथा बिन्दु संख्या 65 स्वीकृत मोटर मार्ग पर ही स्थित है। दिनांक 25.11.2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के बिन्दु संख्या 05 में इसका सत्यापन अंकित है। **(संलग्नकः–1)**
2	मार्ग का अन्तिम बिन्दु भी बदल दिया गया है। यह प्रतीत होता है कि इससे पहले से मौजूद मार्ग से जोड़ दिया गया है, जिस	प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग को किमी0 04 से किमी0 10.875 तक स्वीकृत समरेखण के अनुसार किया गया है, जिसमें काश्तकारों के विवाद होने के कारण संरेखण में आंशिक परिवर्तन किया गया है। अन्तिम भाग का आंशिक समरेखण परिवर्तन केवल काश्तकारों की निजी भूमि में किया

Scanned with CamScanner

	हेतु स्वीकृति नहीं ली गई।	गया है, जिसमें किसी प्रकार की वन भूमि अतिक्रमित/अधिग्रहण नहीं किया गया और न ही किसी भी प्रकार के वृक्षों को क्षति पहुँचाई गई है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में त्रुटिवश मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित Alternate alignment की के0एम0एल0 फाईल परिवेश पोर्टल में अपलोड की गयी थी, जिस कारण से अन्तिम बिन्दु में भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। जबकि मोटर मार्ग के अन्तिम भाग का निर्माण स्वीकृत समरेखण एवं नापभूमि में किया गया है, जिसमें वनभूमि को किसी प्रकार की क्षति एवं अधिग्रहण नहीं किया गया है एवं अन्तिम भाग नापभूमि होने के कारण वन भूमि की आवश्यकता नहीं है। जिसका विवरण संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 06 में अंकित है।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

20/12/23

(धर्म सिंह मीणा)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

संख्या 1537 / 12-1 **,दिनांकित।**

प्रतिलिपि :– प्रगाभीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 25.11.2023 को प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के कार्यालय पत्रांक 2884 / 12–1 गोपेश्वर दिनांक 22.11.2023 के द्वारा वन विभाग नागनाथ रेज के कर्मचारियों,पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,लो0नि0वि0पोखरी के कर्मचारियों ,एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत निर्मित पोखरी काण्डई मोटर मार्ग लम्बाई 10.875 किमी0 का पूर्ण लम्बाई में सयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी सयुक्त निरीक्षण आख्या बिन्दुवार है।

01:– प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पोखरी काण्डई मोटर मार्ग लम्बाई 10.875 किमी0 का निर्माण किया गया।

02:– मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि से सैन्द्धाधिक स्वीकृति प्राप्त है।

03:– मार्ग के किमी0 1.00 से किमी0 03.00 तक ग्रामवासियों के विवाद के कारण मार्ग के समरेखण में आशिक परिवर्तन हुआ है। जिसमें मार्ग निर्माण हेतु उक्त भाग में किसी प्रकार की वनभूमि को क्षति एवं वनभूमि अधिग्रहण नही किया गया है। मार्ग के उक्त भाग का निर्माण नापभूमि में किया गया है।

04:– मार्ग के किमी0 4.00 से किमी0 10.785 तक मार्ग का निर्माण स्वीकृति समरेखण के अनुसार किया गया है।

05:– मोटर मार्ग के अन्तर्गत बिन्दु –14 में स्थित ग्राम गुगली को निर्माण खण्ड लो0नि0वि0पोखरी के द्वारा पोखरी विशालखाल आली मोटर मार्ग से सयोजकता प्रदान की जा चुकी है। तथा बिन्दु 65 में स्थित ग्राम देवीखेत को प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत पोखरी काण्डई मोटर मार्ग के द्वारा सयोजकता प्रदान की गई है।

6:– मार्ग का निर्माण मार्ग स्वीकृत समरेखण के अन्तिम बिन्दु तक किया गया है। मार्ग के अन्तिम बिन्दु में किसी प्रकार का बदलाव नही किया गया है। तथा मार्ग के अन्तिम भाग एवं अन्तिम बिन्दु को नापभूमि में निर्मित किया गया है। मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव में परिवेश पोर्टल में त्रुटिवश **Alternate KML Alignment Upload** होने से मार्ग के अन्तिम भाग में भिन्नता दिखाई दे रही है। जबकि भाग का अन्तिम भाग निर्माण स्वीकृत समरेखण अनुसार किया गया है। जिसमें वन सरक्षण अधिनियम 1980 का कोई भी उल्लघन नही किया गया है।

मदन मोहन सेमवाल अनुभाग अधिकारी पैणी पैणी –अनुभाग	विपिन कुमार अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड लो0नि0वि0पोखरी	सचिन सिलोडी वन वीट अधिकारी काफलपानी वीट	विनय थपलियाल क्वान्टिटी सर्वेयर पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड लो0नि0वि0पोखरी	रा0उ0नि0पोखरी क्षेत्र त्रिशूला

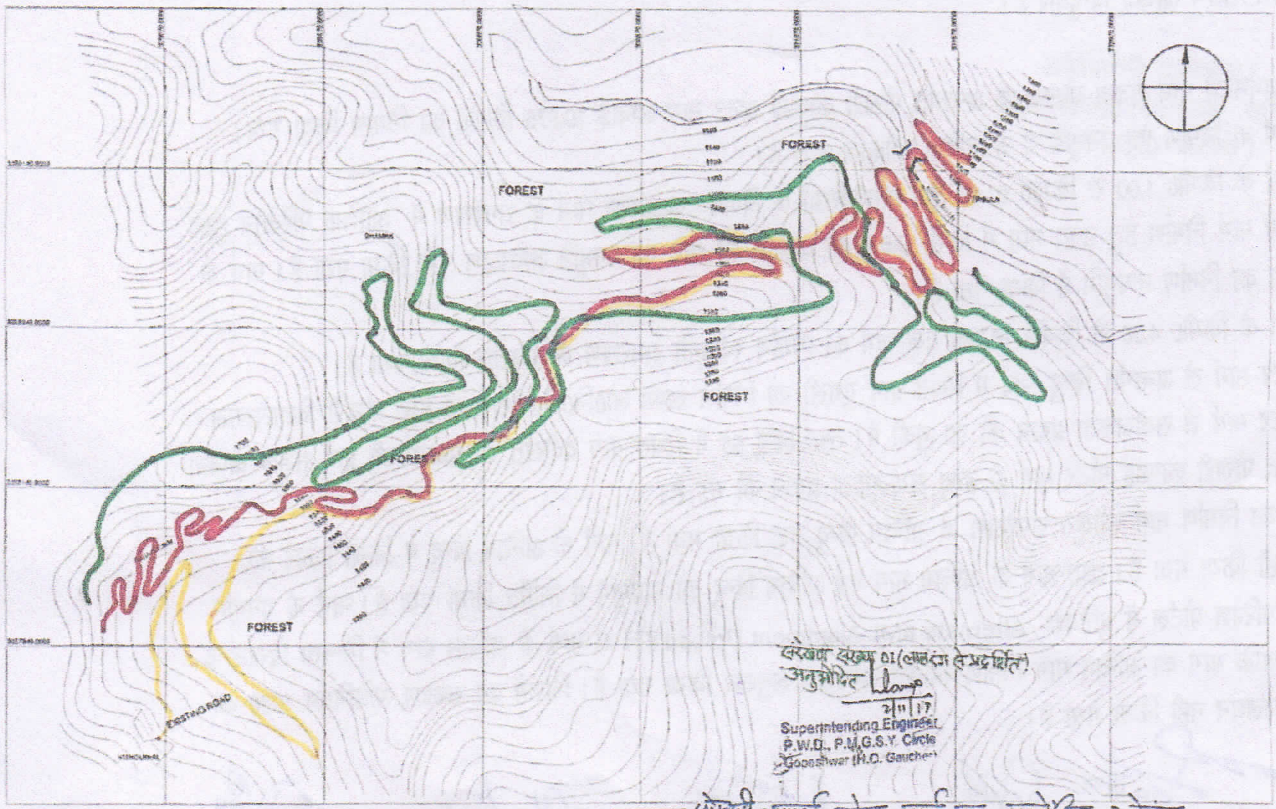

पोखरी क्वाण्डई मोटर मार्ग का संशोधित संरेखण

पोखरी क्वाण्डई मोटर मार्ग का पूर्व स्वीकृत संरेखण

पोखरी क्वाण्डई मोटर मार्ग का पूर्व प्रेषित वैकल्पिक संरेखण

JE

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई खण्ड
लो० नि० वि० पोखरी (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई खण्ड
लो० नि० वि० पोखरी (चमोली)